YOJNA IAS

THE HINDU

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

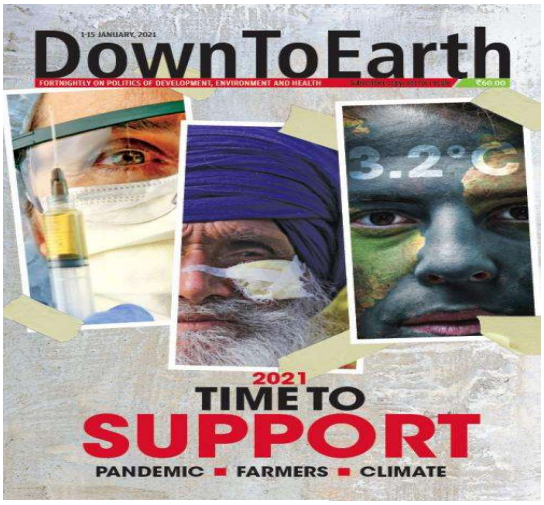

ET THE ECONOMIC TIMES

दल-बदल विरोधी कानून

(Anti-Defection Law)

- अभी 28 सितंबर को कन्हैया कुमार और गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया।
- यहां ध्यान देने वाली बात है कि कन्हैया ने तो कांग्रेस की सदस्यता ले ली, लेकिन जिग्नेश ने कांग्रेस की औपचारिक सदस्यता नहीं ली।
- इसके पीछे जिग्नेश ने तर्क दिया था कि वो कांग्रेस की विचारधारा के साथ हैं, लेकिन अभी अगर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली तो दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक वे विधायक पद पर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो निर्दलीय चुनकर आए हैं।

- 52वें संविधान संशोधन के ज़रिए बना दल-बदल कानून 1 मार्च 1985 से देश में लागू हुआ था।
- संविधान में इसे 10वीं अनुसूची के रूप में शामिल किया गया था।
- ये क़ानून संसद और राज्य विधानसभा दोनों पर लागू होता है। इसके तहत यदि कोई विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ जा कर दूसरी पार्टी का समर्थन करता है तो उसकी इस प्रक्रिया

को दल-बदल माना जाता है। ऐसे में उस विधायक की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है।

किसी सांसद अथवा विधायक द्वारा राजनीतिक पार्टियों को बदलने के मामले में 3 कानूनी स्थितियां हैं:

- पहली, जब किसी राजनीतिक दल के टिकट पर निर्वाचित सदस्य पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ता है।
- दूसरी, जब कोई शख्स निर्दलीय विधायक बनता है और बाद में किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है। पहली और दूसरी कंडीशन में सांसद/विधायक की सदस्यता समाप्त हो जाती है।
- तीसरी स्थिति मनोनीत सांसदों से संबंधित है। इसमें सांसदों अथवा विधायक के मनोनयन के बाद अगर वे 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद अगर वे कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।
- दल-बदल विरोधी कानून के तहत, किसी सांसद या विधायक की अयोग्यता के बारे में फैसला लेने का अधिकार विधायिका के पीठासीन अधिकारी के पास होता है।
- कथित तौर पर तो पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष हो कर फैसले लेता है, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। सदन में चुना गया अध्यक्ष सत्ताधारी पार्टी से होता है, ऐसे में उसके फैसले की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। साथ ही, इसमें समय को लेकर बहुत पाबंदी नहीं होता है।
- विधायिका के पीठासीन अधिकारी कभी-कभी बहुत तेजी से काम काम करते हैं तो कई बार सालों तक मामला अटका रहता है। ऐसे में, इन अधिकारीयों पर राजनीतिक पूर्वाग्रह का भी आरोप लगता रहा है।

- हालांकि पिछले साल, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि दलबदल विरोधी मामलों में स्पीकर द्वारा 3 महीने के अंदर फैसला लिया जाना चाहिए।
- वहीं इससे अलग कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि दल बदल विरोधी कानून के तहत सदस्यता समाप्ति से जुड़े फैसले स्पीकर को नहीं, बल्कि किसी स्वतंत्र एजेंसी मसलन चुनाव आयोग को दिया जाना चाहिए।

Nobel Prize 2021

- नोबेल पुरस्कार 2021 (Nobel Prize 2021) का घोषणा हो चुका है|
- वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार (Nobel Medicine Prize) का घोषणा कर दिया गया है| इस बार अमेरिका के डेविड जूलियस (David Julius) और अर्डेम पटापौटियन (Ardem Patapoutian) को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है|

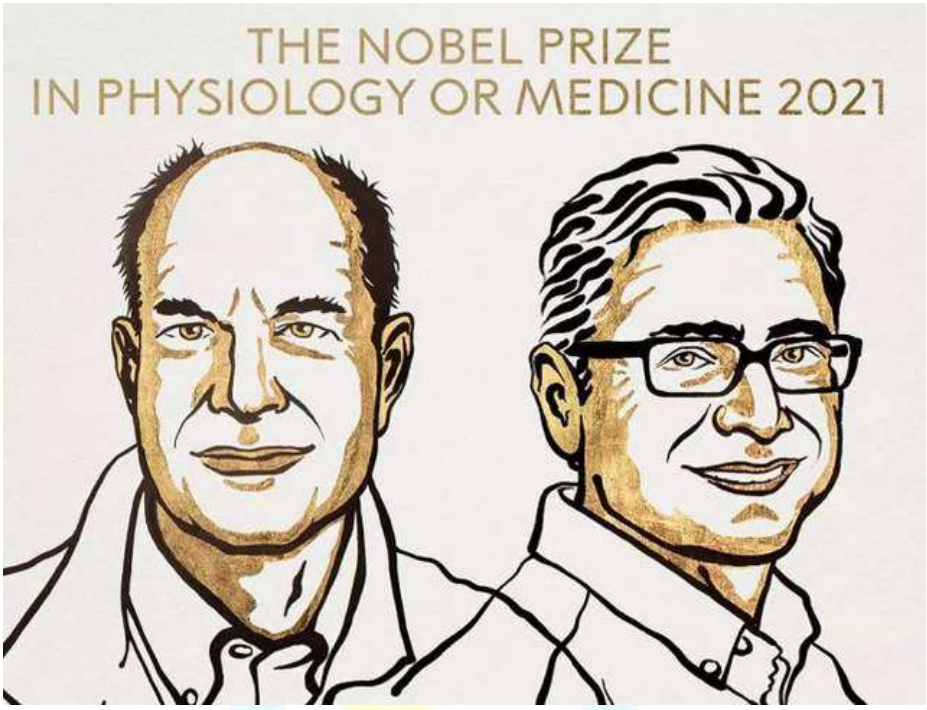

- डेविड जूलियस और अर्डेम पटापौटियन को तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर्स पर खोजों के लिए संयुक्त रूप से नोबेल मेडिसिन पुरस्कार से नवाजा गया है|
- नोबेल प्राइज की घोषणा 04 अक्टूबर 2021 को नोबेल कमेटी के महासचिव थॉमस पर्लमैन (Thomas Perlmann) ने की|
- नोबेल जूरी की तरफ से कहा गया कि इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की अभूतपूर्व खोजों ने हमें यह समझाया है कि कैसे गर्मी, ठंड और यांत्रिक बल तंत्रिका आवेगों को शुरू कर सकते हैं जो हमें दुनिया को समझने और अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं|

डेविड जूलियस:

- डेविड जूलियस (David Julius) का जन्म वर्ष 1955 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था|
- उन्होंने साल 1984 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले से पीएचडी की डिग्री हासिल की है, वे इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सेन फ्रांसिस्को में प्रोफेसर हैं|

अर्डेम पटापौटियन:

- अर्डेम पटापौटियन (Ardem Patapoutian) का जन्म साल 1967 में लेबनान के बेरूत में हुआ था|
- वे बाद में युद्ध प्रभावित बेरूत से अमेरिका के लांस एंजिलिस शिफ्ट हो गए थे|
- वे साल 1996 में कैलिफोर्निया इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पेसाडेना से पीएचडी की डिग्री हासिल की|
- वे साल 2000 से स्क्रिप्स रिसर्च, ला जोला, कैलिफोर्निया में कार्यरत हैं, वे इस समय प्रोफेसर हैं|

नोबेल पुरस्कार:

- इस पुरस्कार की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन की ओर से साल 1901 की गई थी|
- ये पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है|
- उन लोगों को सम्मानित किया जाता है, जिन्होंने पिछले साल के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा फायदा पहुंचाया हो|

- ये पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है|

- इसमें विजेता को एक मेडल, एक डिप्लोमा और मोनेटरी पुरस्कार दिया जाता है|

अल्फ्रेड नोबेल

- डायनामाइट की खोज करने वाले अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे|

- उन्होंने लगभग 355 आविष्कार किए, दिसंबर उन्होंने 1896 में मौत से पहले अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया| उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी हो|

जल जीवन मिशन (JJM)

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर हितधारकों को और जागरूक बनाने तथा मिशन के तहत योजनाओं की अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए **जल जीवन मिशन (JJM) मोबाइल एप्लिकेशन** का शुभारंभ किया है।
- प्रधान मंत्री ने **'राष्ट्रीय जल जीवन कोष'** की भी शुरुआत की, जिसमे कोई भी व्यक्ति, संस्था, निगम, या परोपकारी, चाहे वह भारत में हो या विदेश में, प्रत्येक ग्रामीण घर, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, आश्रम शाला और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में नल से जल पहुँचाने में मदद करने के लिए योगदान दे सकता है।

जल जीवन मिशन के बारे में:

- 'जल जीवन मिशन' (Jal Jeevan Mission) के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (Functional House Tap Connections- FHTC) के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।
- यह अभियान, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्यो को शामिल किया गया है:

- गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखा प्रवण और रेगिस्तानी क्षेत्रों के गांवों, सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) के अंतर्गत आने वाले गांवों, आदि में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) लगाए जाने को प्राथमिकता देना।

- स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों के लिए कार्यात्मक नल कनेक्शन की सुविधा प्रदान करना।
- जल-गुणवत्ता की समस्या वाले स्थानों को प्रदूषण-मुक्त करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप।

कार्यान्वयन:

- 'जल जीवन मिशन', जल के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसके तहत मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक जानकारी, शिक्षा और संवाद को शामिल किया गया है।
- इस मिशन का उद्देश्य, जल के लिए एक जन-आंदोलन तैयार करना है, जिसके द्वारा यह हर किसी की प्राथमिकता में शामिल हो जाए।
- इस मिशन के लिए, केंद्र और राज्यों द्वारा, हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10; अन्य राज्यों के लिए 50:50 के अनुपात में; और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

योजना के अंतर्गत प्रदर्शन:

- अब तक 7,72,000 (76 प्रतिशत) स्कूलों और 748,000 (67.5 प्रतिशत) आंगनवाड़ी केंद्रों में 'नल के पानी की आपूर्ति' सुनिश्चित की जा चुकी है।

मित्र शक्ति

- भारत और श्रीलंका ने 04 अक्टूबर 2021 को श्रीलंका के पूर्वी जिले अम्पारा में काम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया|
- दोनों देशों के बीच अभ्यास का फोकस आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ाने पर होगा, बताया जा रहा है कि इस सैन्य अभ्यास के बाद से दोनों देशों के बीच के रिश्तों में मजबूती आएगी|
- 12 दिनों के इस अभ्यास में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन पर काम किया जाएगा|
- मित्र शक्ति अभ्यास के आठवें संस्करण का आयोजन श्रीलंका के अम्पारा स्थित काम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 04 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा|
- मंत्रालय के अनुसार, भारतीय सेना के 120 जवानों की सशस्त्र टुकड़ी इस अभ्यास में भाग ली है|

अभ्यास का उद्देश्य

- इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीबी संबंध और अंतर-संचालनीयता बढ़ाना तथा चरमपंथ और आतंकवाद रोधी अभियानों में बेहतर प्रक्रियाओं को साझा करना है|
- मित्र शक्ति अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी 03 अक्टूबर को श्रीलंका पहुंच गई है|

मुख्य बिंदु

- रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच होने वाले इस संयुक्त अभ्यास को सामरिक अभ्यास और व्यावहारिक चर्चा के जरिए संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है|
- मंत्रालय ने बताया कि यह अभ्यास दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी और यह दोनों सेनाओं के बीच जमीनी स्तर पर तालमेल और सहयोग लाने में उत्प्रेरक का काम करेगा|

दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंध

- इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनिष्ठ संबंधों को प्रोत्साहित करना और अंतर-संचालन में बढ़ोतरी करने के साथ-साथ उग्रवाद एवं आतंकवाद विरोधी संचालनों में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को साझा करना है|

पृष्ठभूमि

- युद्धाभ्यास मित्र शक्ति का 7वां संस्करण वर्ष 2019 में विदेशी प्रशिक्षण नोड (एफटीएन), पुणे, महाराष्ट्र (भारत) में आयोजित किया गया था|

- भारत ने पिछले कुछ महीनों में लगातार युद्धाभ्यास को काफी बढ़ा दिया है और भारत की सेना लगातार कई देशों के साथ युद्धाभ्यास कर रही है|

‘एक जिला, एक उत्पाद’ योजना

- उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में फिल्म अभिनेत्री कांगना रनौत (Kangana Ranaut) को “एक जिला एक उत्पाद” (ओडीओपी) का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है|
- अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि फिल्म एक्ट्रेस कांगना रनौत ने मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की, उन्होंने बताया कि वे ओडीओपी की ब्रांड एम्बेसडर होंगी|
- फिल्म अभिनेत्री कांगना रनौत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आधिकारिक आवास पर खास मुलाकात भी की|

- यूपी सरकार ने राज्य के 75 जिलों में उत्पाद-विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी) कार्यक्रम शुरू किया है|

एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना

- गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा शुरू की गई "एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना" के जरिए यूपी के एक-एक जिले के उद्यम कौशल का डंका दुनिया में बजाने के लिए कई प्रयास शुरू हुए है|
- एक जिला एक उत्पाद योजना (ODOP) को प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए शुरू की गयी है|
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलों में पारंपरिक शिल्प एवं लघु उद्यमों के संरक्षण के लिए और उसमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से लॉन्च किया था|

योजना का उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि यूपी के हर जिलों का अपना एक प्रोडक्ट होगा, जिससे उस जिले की पहचान बनेगी|
- यह बिजनेस सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की श्रेणी में रखा गया है|
- "एक जिला एक उत्पाद योजना" (ODOP) के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के भी अवसर प्रदान किए जा रहे हैं|

योजना का लाभ

- इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के पांच सालो में 25 लाख लोगो को रोजगार मिलेगा|
- इन छोटे लघु एवं मध्य उद्योग से 89 हजार करोड़ से अधिक का निर्यात उत्तर प्रदेश से किया जा चूका है|

- उत्तर प्रदेश में भी छोटे लघु उद्योग है जहा पर विशेष पदार्थ बनकर देश विदेश में जाता है, उत्तर प्रदेश के काच का सामान, लखनवी कढ़ाई से युक्त कपडे, विशेष चावल आदि बहुत फेमस है|
- एक जिला एक उत्पाद योजना से राज्य के छोटे से छोटे गांव का नाम देश प्रदेश में प्रसिद्ध होगा और यह योजना युवाओं को भी आकर्षित करेगी, जिससे बेरोजगार युवाओ को नए रोजगार के अवसर मिलेंगें|
- इस योजना के तहत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग और कारीगरों को ट्रेनिग दी जायेगी ताकि वह प्रोडक्ट मार्केट में दुसरे प्रोडक्ट की बराबरी कर सके|

अरुणाचल प्रदेश के तीन जिले 'अशांत' घोषित

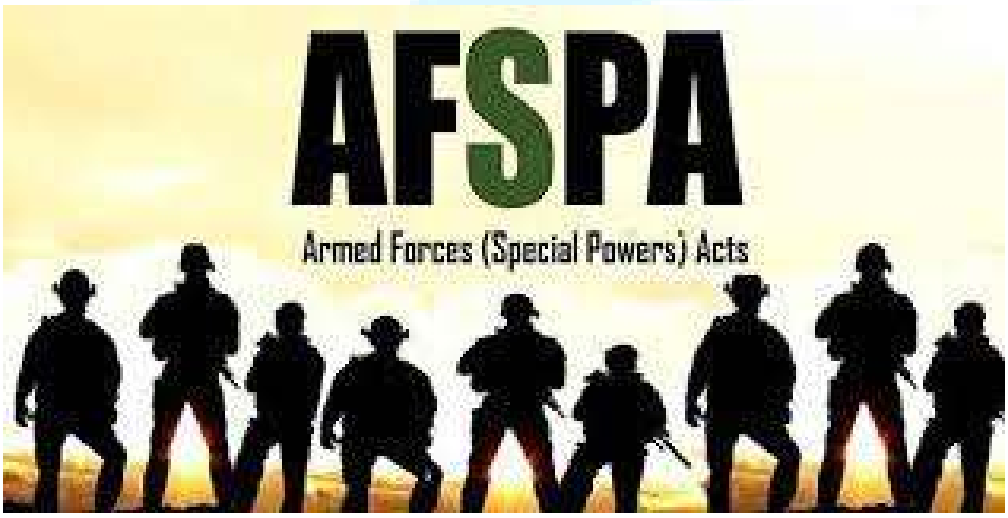

- केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों और एक अन्य जिले के दो थाना क्षेत्रों को उग्रवादी गतिविधियों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम के तहत अगले छह महीने के लिए 'अशांत' घोषित कर दिया है|
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग के तीन जिलों को सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है|
- यहां उग्रवादी गतिविधियों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया है|
- केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में जारी अधिसूचना 01 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक प्रभावी होगी| यह फैसला सुरक्षा हालात में सुधार के मद्देनजर लिया गया है|

AFSPA–1958 की धारा-3

- केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम-1958 की धारा-3 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक अप्रैल 2021 को जारी अधिसूचना में अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लॉन्गडिंग जिलों और चार पुलिस थाना क्षेत्रों- दो नामसई जिले में और लोअर दिबांग और लोहित जिले के एक-एक पुलिस थाना क्षेत्र को 'अशांत' इलाका घोषित किया था, जो असम की सीमा से सटे हैं|

अधिसूचना में क्या कहा गया?

अधिसूचना में कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लॉन्गडिंग जिलों और नामसई जिले के नामसई और महादेवपुर पुलिस थाना क्षेत्र को सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम-1958 की धारा-3 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक अक्टूबर

2021 से 31 मार्च 2022 तक या इससे पहले आदेश वापस लेने तक 'अशांत क्षेत्र ' घोषित किया जाता है|

अफस्पा:

- अफस्पा (AFSPA) उन इलाकों में लागू किया जाता है, जहां पर नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सशस्त्र बलों की जरूरत होती है|
- AFSPA के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहाँ केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है|
- विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्रीय समूहों, जातियों, समुदायों के बीच मतभेद या विवादों के चलते राज्य या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करती है|
- इस कानून के तहत सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने का भी अधिकार है|
- सशस्त्र बल किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, वे गिरफ्तारी के दौरान किसी भी तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं|
- किसी वाहन को रोककर गैर-कानूनी ढंग से हथियार ले जाने का संदेह होने पर उसकी तलाशी ली जा सकती है|

Like, Share, and Subscribe!